न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/38/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/191

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री किरण चन्द्र मित्तल (पूर्व प्राचार्य) नि0 कुण्ड मौहल्ला, राजगढ, जिला–अलवर (राज.)–301408		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 21.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांकः 26.02.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी के अधीनस्थ कोष कार्यालय, अलवर के आक्षेप–पत्र सं. 444 दिनांकः 16.12.21 के अनुसरण में कोरोना उपचार व्यय बिल भुगतान के संबंध में सूचना चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 11.04.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्रांकः 1111 दिनांकः 05.05.2022 मय संलग्नक, जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में कोषाधिकारी, अलवर से बिल भुगतान के संबंध में अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर सूचित किया जा चुका है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 10.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)